

**इटावा पुलिस द्वारा उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप कारित कर धन एवं सम्पत्ति अर्जित करने वाले 03 अभियुक्तों के विरुद्ध 14(1) उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए लगभग 08 करोड रूपये की संपत्ति की गयी जब्त ।**

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉ0 श्री बृजेश कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप कारित कर धन एवं सम्पत्ति अर्जित करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध 14(1) उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 03 वांछित अभियुक्तों की जमीन, कार, मोटरसाइकिल व ट्रक (कुल कीमत 08 करोड रूपये) की सम्पत्ति कुर्की की गयी ।

**संक्षिप्त विवरण-**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन द्वारा गिरोह बनाकर अपराध एवं समाज विरोधी कार्य कर धन एवं सम्पत्ति अर्जित करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 557/16 धारा 2/3 यूपी गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 बनाम रघुवीर तिवारी, श्यामवीर तिवारी, रामवीर तिवारी अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

उपरोक्त पंजीकृत किये गये अभियोग में नामित अभियुक्तों में से अभियुक्त श्यामवीर पुत्र रामबाबू तिवारी निवासी लुहन्ना थाना सिविल लाइन जनपद इटावा को थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । विवेचना के दौरान जानकारी हुई कि अभियुक्तों द्वारा अपराध एवं समाज विरोधी कार्य कर काफी चल एवं अचल सम्पत्ति अर्जित की गई है जिसको कुर्क करने हेतु प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन द्वारा दिनांक 18.03.2021 को अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अन्तर्गत धारा-14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की कार्यवाही की स्वीकृति हेतु आख्या जिलाधिकारी इटावा के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। जिसके क्रम में जिलाधिकारी इटावा द्वारा अभियुक्त की सम्पत्ति की कुर्की हेतु दिनांक 06.04.2021 को आदेश निर्गत किये गये थे । जिसमें नियमानुसार मुनादी करायी गई व उनकी सम्पत्ति पर नोटिस चस्पा किया गये इसी क्रम में कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 07.04.2021 को थाना सिविल लाइन एवं कोतवाली, फ्रेंड्स कालोनी के पुलिस बल द्वारा अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करके एवं अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का जब्तीकरण किया गया ।

**जब्ती का विवरण-**

1. 01 टाटा ट्रक नम्बर यूपी 75 एम 8629
2. 07 मोटर साइकिल
3. 08 कार
4. 01 टैक्टर
5. 01 निर्माणाधीन होटल
6. 01 मकान
7. 01 इलैक्ट्रॉनिक दुकान
8. 01 जूस फैक्ट्री
9. गाँव में अवैध रूप से अर्जित जमीन

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. रघुवीर तिवारी पुत्र रामबाबू तिवारी निवासी ग्राम लुहन्ना थाना सिविल लाइन ।  
उक्त अभियुक्त पर जनपद इटावा में थाना सिविल लाइन एवं अन्य थानों पर कुल 15 अभियोग पंजीकृत है ।
2. श्यामबीर तिवारी पुत्र रामबाबू तिवारी निवासी ग्राम लुहन्ना थाना सिविल लाइन ।  
उक्त अभियुक्त पर जनपद इटावा में थाना सिविल लाइन एवं अन्य थानों पर 19 अभियोग पंजीकृत हैं ।
3. रामबीर तिवारी पुत्र रामबाबू तिवारी निवासी ग्राम लुहन्ना थाना सिविल लाइन ।  
उक्त अभियुक्त पर जनपद इटावा में थाना सिविल लाइन एवं अन्य थानों पर कुल 22 अभियोग पंजीकृत हैं ।

**पुलिस टीम-** श्री रमेश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन मय पुलिस टीम।

श्री बचन सिंह सिरोही प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली इटावा मय टीम ।

श्री रमाशंकर उपाध्याय व0उ0नि0 प्रभारी थाना फ्रेंड्स कालोनी मय टीम ।

